



इलाहाबाद विकास प्राधिकरण गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल 30प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्किट्य या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती / श्री प्रह्लाद बिहारी एम श्री

खजंशी कपाल पिता/पति का नाम श्री स्व. तारानन्द
नम्बर 1021/1179 (ए.टी. प्रयोग कक्षा वि.स.वि.हालिया
मुस्ला मारा बुलाहाबाद वाड नम्बर

में नक्शे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्यना-पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, सचिव के विनित भवन चित्र के अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण करें।



10/284/2011
सचिव
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद
dcr

नोट :-

1. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है। यदि भवन का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार नहीं किया जाता है तो उसे गिरवाया जा सकता है। जिराका पूर्ण व्यय भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना सचिव विकास प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगी तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार की यह अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा तथा सचिव विकास प्राधिकरण द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनवाने वाले से 10 प्रतिशत संग्रह शुल्क के साथ वसूल किया जायेगा।

2. इस अनुमति-पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ा कर प्राजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़िया, सीढ़ी, झप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिशाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी।


3. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की फटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।

4. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूलस 1965) नियम 82 का अलंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामलें पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।


5. प्रार्थी को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।

6. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27(1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।


[Handwritten signature]




UPPER GROUND FLOOR PLAN



STILT FLOOR PLAN




SECTION OF STAIR CASE




23 CM FOUNDATION DETAIL

DOOR WINDOW SCHEDULE


S/N	Particulars	Size
1	D1	1.10 x 2.00
2	D2	1.10 x 2.00
3	D3	7.00 x 2.00
4	W1	1.80 x 1.20
5	W2	1.80 x 1.20
6	W3	1.20 x 1.20



BASEMENT FLOOR PLAN




FIRST FLOOR PLAN




SECOND FLOOR PLAN



SECTION AT AB



FRONT ELEVATION



TERRACE PLAN



SITE PLAN



KEY PLAN N.T.S.

NOTE --
 LIME CONC. IN FOUNDATION
 OVER R.C.C. SLAB
 TOTAL AREA 12500 SQ. M.
 COVERED AREA 12500 SQ. M.
 COVERED AREA 12500 SQ. M.
 OPEN AREA 12500 SQ. M.
 COMMERCIAL AREA 12500 SQ. M.
 PROVIDE CAR PARKING 4 BAYS
 ALL DIMENSIONS IN METERS

PROPOSED COMMERCIAL GUM RESIDENTIAL BUILDING
 PLAN ON PART OF H.NO. 1021 OLD AND 1179
 UNIVERSITY ROAD, OLD KATRA, ALLAHABAD.
 SCALE 1/100

OWNER :-
 SHRI. RAJENDRA LAL
 1021, UNIVERSITY ROAD,
 OLD KATRA, ALLAHABAD

DR. V. K. KISHORE
 ARCHT. (REGD. NO. 1021)
 1021, UNIVERSITY ROAD,
 OLD KATRA, ALLAHABAD

DR. OF CIVIL ENGRG.